



श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय  
SHRI LAL BHADUR SHASTRI NATIONAL SANSKRIT UNIVERSITY

A Central University established by an Act of Parliament  
(Formerly Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Deemed to be University)

क्रमांक : एफ 1(137)/एल.बी.एस.एन.एस.यू.जी.ए.डी/2020 21/7/13

दिनांक: 06/09/2023  
18

कार्यालय आदेश

संपदा निदेशालय, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तत संबंधी कार्यालय जापन संख्या 18011/2/2015-Pol.III दिनांक 10.07.2023 के अनुपालन में एतं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय परिसर में सरकारी आवास टाइप संख्या I, II, III, IV एवं V की मासिक लाइसेंस फीस दिनांक 01.07.2023 से निम्न प्रकार से संशोधित की जाती है।

| क्रमांक | आवास टाइप | वर्तमान मासिक लाइसेंस फीस (रूपए /प्रतिमाह) | दिनांक 01.07.2023 से लागू संशोधित मासिक लाइसेंस फीस (रूपए/प्रतिमाह) |
|---------|-----------|--|---|
| 1.      | I & II    | 370/-                                      | 440   |
| 2.      | III       | 560/-                                      | 660   |
| 3.      | IV        | 790/-                                      | 930   |
| 5.      | V         | 1490/-                                     | 1750  |

विश्वविद्यालय के वर्तमान में आवास आबंधियों से 01/07/2023 से उक्त विभाग द्वारा लागू नई संशोधन लाइसेंस फीस की दरें अग्रिम आदेश तक लागू रहेगी।

यह कार्यालय आदेश सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

(मनजीत सिंह  
(सहायक कुलसचिव)

प्रतिलिपि:

- उप-कुलसचिव (लेखा)
- अधिसासी अभियंता
- सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर: इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को website पर प्रदर्शित करें तथा विश्वविद्यालय के आवास आबंधियों को sms द्वारा सूचित करें।
- निजी सचिव-माननीय कुलपति/कुलसचिव
- विश्वविद्यालय के समस्त आवास आबंधियों को सूचनार्थ।
- सम्बंधित पत्रावली।
- कार्यालय आदेश पंजिका।

for file  
18/9/2023

(मनजीत सिंह  
(सहायक कुलसचिव)